सामाजिक क्षेत्र है अहम

हैप्पी पंत
(सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटबिलिटी (सीबीजीए))

जब सोमवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, तभी पता चलेगा कि उसमें सहयोगी संघवाद की भावना कितनी निहित है? यदि मौजूदा बजट (2015) को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने राज्यों को अनटाइड फंड (किसी निश्चित मद में न खर्च की जाने वाली राशि) के मद में ज्यादा राशि दी है। एक तरफ तो राज्यों की वित्तीय आजादी बढ़ी है लेकिन साथ ही उनकी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार द्वारा उनको विभिन्न मदों में दी जाने वाली बजटीय आवंटन में जो कटौती हुई है, उसकी भरपाई अनटाइड फंड के संसाधनों से मुहैया कराई जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के योजना खर्च और सामाजिक क्षेत्र की अनेक केंद्रीय स्कीमों में दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती की है। कुल मिलाकर इन सबसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में केंद्रीय संसाधनों के आवंटन में बढ़ोतरी और बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में गिरावट देखी गई है।

यद्यपि सभी राज्यों को अपनी बजटीय प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए अधिक आजादी दी गई है लेकिन कुल केंद्रीय संसाधनों के आवंटन में गिरावट से कुछ राज्य नाखुश हैं। यह उन गरीब राज्यों के लिए अधिक चिंता का विषय है जिनके बजट में संसाधनों को जुटाने के लिए इस केंद्रीय आवंटन पर अधिक निर्भरता होती है। अधिकांश कमजोर राज्य अपने दम पर संसाधनों को जुटाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों पर विशेष ध्यान देना इन राज्यों के केंद्रीय एजेंडे में शामिल नहीं होता। ऐसे में राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को हासिल करने के लिए बिना केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग के ऐसे राज्यों को अपने रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता।

शिक्षा

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट लागू होने के पांच साल बीत जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में 9.4 लाख टीचरों की कमी है जबकि एक्ट में कहा गया है कि किसी स्कूल में कुल निर्धारित क्षमता से 10 प्रतिशत से अधिक टीचरों की सीटें रिक्त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं 8.3 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में केवल एक टीचर है और करीब 6.3 लाख शिक्षक अयोग्य हैं। ऐसे में निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मद में अपने बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। निष्क्रिय हो चुके द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को मजबूत करने की जरूरत है। नौकरी से पहले वाले अधिकांश टीचर एजुकेशन कोर्स गैरसरकारी क्षेत्र के दायरे में आते हैं, ऐसे में राज्य को ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों की संस्थागत क्षमता को सुधारने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

दूसरी चिंता की बात यह है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन की दर लगभग सार्वभौमिक स्तर पर पहुंच गई है लेकिन दो वर्ष पूर्व के एक अनुमान के मुताबिक सेकेंडरी स्तर पर 15-18 आयु समूह के केवल 62 प्रतिशत बच्चों का नामांकन पाया गया। इसको देखते हुए सरकार ने सेकेंडरी शिक्षा तक पहुंच, गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) शुरू किया। बावजूद इसके मौजूदा बजट में इस मद में 29 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की पुनर्संरचना के लिए गठित नीति आयोग के उप-समूह की सिफारिशों के बाद 2016-17 से केंद्र सरकार मोटे तौर पर राज्यों को दिए जाने वाले आरएमएसए मद में अपने मौजूदा शेयर को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने जा रही है। ऐसे में सेकेंडरी स्तर पर संसाधनों के आवंटन को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की भी जरूरत है।

स्वास्थ्य

पूरे देश में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के कामकाज और विश्वसनीयता पर ग्रहण लगा हुआ है। डॉक्टरों और नर्सों की कमी क्रमश: 76 प्रतिशत और 52 प्रतिशत है। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आइपीएचएस) के मानकों के अनुसार सभी पदों को भरा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर करना होगा। हर तरह की सेवा की लागत के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया जाना चाहिए ताकि बेहतर बजटीय आवंटन किया जा सके। मसलन 30 हजार आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) चलाने के लिए तकरीबन 125 लाख रुपये की लागत आती है। घरों में दवाओं पर आउट ऑफ पॉकेट (ओओपी) का दो तिहाई खर्च होता है। एक आकलन के मुताबिक देश में यह ओपीपी कुल जीडीपी का दो प्रतिशत हिस्सा है और 2012 के कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत थी। ऐसे में लोगों को सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता इस आम बजट की प्राथमिकता में होना चाहिए।

बेहतर सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित कम्युनिटी बेस्ड मोनिटरिंग प्लान (सीबीएमपी) की प्रक्रिया 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। इस वक्त केवल महाराष्ट्र में इसको सघनता से चलाया जा रहा है। यहां पर इसके बेहतर प्रभाव को देखते हुए इसका विस्तार पूरे देश में किया जाना चाहिए।

महिलाएं

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार को राज्यों को इस मद में अधिक प्रयास करने के लिए मदद करनी चाहिए। मानव तस्करी के खिलाफ मुहिम वाली स्कीम, 2005 के घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक्ट के क्रियान्वयन में राज्यों की मदद, सिंगल महिला/विधवा के लिए आश्रय घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। मौजूदा बजट में इनमें आवंटन नहीं किया गया था। अबकी बार इन पर फिर से ध्यान देते हुए यथोचित बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए।

जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग (जीआरबी) के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करने के साथ केंद्र सरकार का राज्य स्तर पर भी इनके क्रियान्वयन में अहम रोल है। वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों को राज्यों से जीआरबी की शुरुआत के लिए रणनीति अपनाने का आग्रह करना चाहिए।

बजट में सामाजिक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को घटाना नहीं चाहिए। काफी लंबे समय से सरकार ने इसकी उपेक्षा की है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे मदों में कुल जीडीपी का दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा खर्च किया जा रहा है।

बच्चे

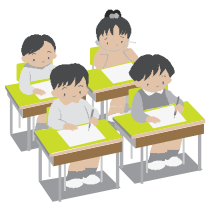

मौजूदा बजट 2015-16 में कुल वित्तीय संसाधनों में बच्चों को केवल 3.26 प्रतिशत हिस्सा मिला जोकि पिछली बार (4.51 प्रतिशत) की तुलना में 29 प्रतिशत कम था। बच्चों से जुड़ी सभी स्कीमों में भारी कटौती की गई। इनमें एकीकृत बाल विकास स्कीम (आइसीडीएस), सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे मील शामिल हैं। इस भारी कमी के कारण बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बाधित हुआ। ऐसे में अगले बजट में इन मदों में आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

पेयजल

2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 20 प्रतिशत घरों की महिलाएं पेयजल लाने के लिए आधे किमी से अधिक दूर तक जाती हैं। सभी सामाजिक श्रेणियों में गुणवत्तापरक और एक समान पानी की उपलब्धता भी बड़ी चिंता का मसला है। इन सबके बीच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए आवंटन को देखकर लगता है कि सरकार का जोर इससे हटकर साफ-सफाई अभियान की ओर हो गया है। जल और साफ-सफाई पर गठित संसदीय स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट में भी पेयजल मद में आवंटन घटाने के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया गया है। ऐसे में सरकार को इसके महत्व को रेखांकित करते हुए आगामी बजट में इस मद में यथोचित आवंटन किया जाना चाहिए।

साफ-सफाई

सुथरा रखने के इरादे से स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। फिलहाल इसका फोकस बीपीएल परिवारों में लैट्रिन का निर्माण और नालियों इत्यादि के जरिये गांवों को पूर्ण स्वच्छ बनाना है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में एसबीएम का मकसद चार हजार प्रति टॉयलेट की यूनिट लागत के साथ 1.04 करोड़ आइएचएचएल (इंडीविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन) बनाने का है। यह लागत गांवों की तुलना में कम है। शहरों में मैटेरियल लागत महंगी होने के कारण केंद्र सरकार को इस शहरी यूनिट लागत में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इन सबके चलते एसबीएम मद में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

कुल मिलाकर यह जरूरी है कि केंद्र सरकार को अपने बजट में सामाजिक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को घटाना नहीं चाहिए। काफी लंबे समय से सरकार ने इसकी उपेक्षा की है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे मदों में कुल जीडीपी का दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा खर्च किया जा रहा है। यह स्थिति तब है जब राजस्व प्राप्त होने की स्थिति बेहतर है और टैक्स में कारपोरेट हिस्सेदारी 5.7 प्रतिशत है। हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि सरकार नए बजट में इन मदों में कटौती नहीं करेगी।

जनमत

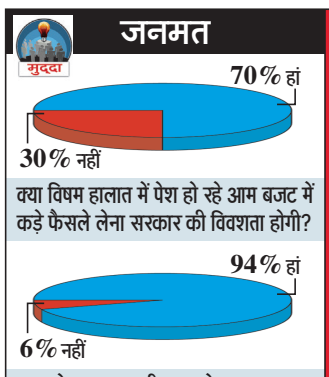

आपकी आवाज

कड़े फैसले मात्र आमजन के लिए ही न लिए जाएं बल्कि नेताओं के लिए भी लिए जाएं। इससे आम जनता के सामने अच्छा प्रभाव पड़ेगा। **- राजेश कुमार चौहान**

बजट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर, सभी पक्षों को सरकार से बहुत उम्मीद रहती है। लेकिन सरकार के बजट की भी एक सीमा होती है। अत: सरकार को राष्ट्रहित और जलकल्याण सुनिश्चित करने वाला बजट पेश करना चाहिए। **-कन्हैया पांडेय**

सरकार विवशता से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से चलती है। सरकार बहुमत में है तो विवशता का सवाल ही नहीं। बहुमत की सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनकल्याण वाला बजट लाना चाहिए। **-अश्विनी राय**

सरकार को बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बजाय बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला बजट लाना होगा। **-सूरज भान**

जी हां, आम बजट आम जनता की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। **-हर्ष श्रीवास्तव**

आम बजट में अर्थव्यवस्था का विकास झलकता है। अगर रोजगार उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए तो देश भी जरूर तरक्की करेगा। बजट ऐसा ही होना चाहिए। **- पुलकित कुमार**

बजट चाहें जितना लोकलुभावन हो लेकिन विकास भ्रष्टाचार के आगे रेंगता ही रहेगा। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। **-सुनील कुमार यादव**

बजट से आस

आगामी 29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर सभी की टकटकी टिक गई है। यह केवल सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण भर नहीं होता है, बल्कि दुनिया के दूसरे सर्वाधिक आबादी वाले देश का हर नागरिक अपने कल्याण की इससे उम्मीदें संजोए रहता है। ये दिल मांगे मोर। सही भी है। आखिर कौन नहीं चाहता कि सरकार उसके लिए छूटों और रियायतों का पिटारा खोल दे। लेकिन कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दी गई ये लोकलुभावन सहूलियतें तुष्टीकरण की राजनीति करने का विवाद भी जन्मती हैं।

जरूरतमंदों की हर जरूरतें पूरी होनी चाहिए। वंचितों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना अपरिहार्य है। गैर पेशेवरों को हुनरमंद बनाकर मुख्यधारा में लाना ही स्किल इंडिया का मर्म है। गैर जरूरतमंदों की खुशामद भी नहीं की जानी चाहिए। इनको दी जाने वाली सब्सिडी पर कैंची चलाकर इससे गरीबों की अतिरिक्त भरपाई की जा सकती है। देश चलाने के लिए राजस्व जुटाना जरूरी होता है। लोकलुभावन वादों के चलते घाटे का बजट पेश करते रहना राष्ट्र-जन के साथ किसी छलावा से कम नहीं होता। अर्थविदों की मानें तो लोकलुभावन की जगह देश-समाज के समग्र विकास पर केंद्रित आम बजट पेश करने वाली सरकार राष्ट्र-जन हितैषी मानी जाती है।

हालात प्रतिकूल हैं। कल-कारखानों की ऐतिहासिक मंदी, सूखते निजी निवेश के स्रोत, बदहाल निर्यात, राजकोषीय घाटे के और बढ़ने के अनुमान ने सरकार के हाथ बांध रखे हैं। मानसून की बेरुखी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करना जरूरी है। इन विषम हालातों में पेश होने वाले आम बजट में कड़े फैसले लेना सरकार की मजबूरी है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ चल रही सरकार इस बजट से भविष्य के अपने आर्थिक एजेंडे का रोडमैप पेश कर सकती है, साथ ही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले कड़े कदमों से भारत निर्माण की बुनियाद भी रख सकती है।

रीयल एस्टेट में आए तेजी

-डॉ महेश गुप्ता
(अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर्स)

रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के लिए पीएचडी चैंबर्स ने पहले ही सरकार को होम लोन के ब्याज भुगतान पर आयकर छूट का दायरा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करने का सुझाव दिया है। दो लाख की सीमा पर ग्राहक केवल 40 लाख रुपये तक का कर्ज ले पाते हैं। ऐसे में यदि इसे पांच लाख रुपये कर दिया जाता है तो बड़ा घर खरीदने के लिए लोग 20 से 30 वर्ष तक 50 लाख रुपये तक का कर्ज भी ले सकेंगे। इससे वेतनभोगी वर्ग, कारोबारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इससे ईएमआइ कम होगी और लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इसके परिणामस्वरूप फ्लैट की मांग में इजाफा होगा। इस कदम से आयकर संग्रह में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उत्पाद शुल्क और सेवा कर से हो जो रीयल एस्टेट क्षेत्र में आई तेजी के चलते मिलेगा। जो लोग पहली बार घर खरीदते हैं उनके द्वारा किया गया लेनदेन रिकॉर्ड होता है जबकि घर की रिसेल में मिलने वाली राशि का 50 फीसद काला धन होता है। जैसा कि राजग सरकार देश में और भारत के बाहर से आने वाले काले धन पर लगाम लगाने के लिए प्रयासरत है, इसका असर रीयल एस्टेट सेक्टर पर नजर आ रहा है। दरअसल इस क्षेत्र में काले धन की बड़ी भूमिका होती है।

लोगों की एक श्रेणी ऐसी भी है जो रीयल एस्टेट सेक्टर में निवेश के मकसद से पैसा लगाती है। जब वे ऐसी संपत्ति को बेचते हैं तो उनकी गाढ़ी कमाई का यह पैसा उन्हें नकद मिलता है और यह काले धन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में बढ़ी हुई कीमत पर तो विक्रेता कर चुका देता है पर बाकी का पैसा काले धन के तौर पर रख लेता है।

संयुक्त परिवार एकल में तब्दील हो रहे हैं। सास-बहू के झगड़ों के चलते आज कल युवा शादी के तीन से पांच साल के अंदर अपने अभिभावकों से अलग हो जाते हैं। ऐसे में वह रेडीमेड दो बेड रूम, किचन, ड्राइंग रूम वाले घर को तवज्जो देते हैं। इतना ही नहीं, वे इसके लिए किराया भरने की बजाय होम लोन की ईएमआइ देने का विकल्प चुनते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ज्यादातर मामलों में किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में जो लोग अपना आशियाना ले लेते हैं तो उन्हें इससे राहत मिलती है और वे संपत्ति के मालिक भी बन जाते हैं। रीयल एस्टेट सेक्टर में मंदी की प्रमुख वजह है मांग में कमी। यदि होम लोन पर ब्याज भुगतान की सीमा को पांच लाख रुपये कर दिया जाता है तो इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक आय होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। आयकर अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत फिलहाल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए मकान मालिक होम लोन के ब्याज भुगतान पर दो लाख रुपये की कर छूट का फायदा ले सकते हैं।

इसके अलावा होम लोन के मूलधन भुगतान पर धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट की सीमा डेढ़ लाख को बढ़ाकर दो लाख करने की जरूरत है। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक 2015 को मंजूरी देने का कैबिनेट का कदम वाकई सराहनीय है। इस क्षेत्र में सुधारों के जरिये मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आश्वस्त की जानी चाहिए जिससे बिल्डर समय पर अपनी परियोजनाओं को पूरा कर सकें। ऐसे में सरकार को परियोजनाओं को मंजूरी देने से संबंधित अधिकारियों को नए कानून के अंतर्गत इनकी मंजूरी की जिम्मेदारी देनी चाहिए।

रीयल एस्टेट सेक्टर बदहाल है। विकास के लिए इसे बढ़ावा देना जरूरी है। फ्लैट तैयार हैं पर खरीदार नहीं। अधिकतर फ्लैट बेहद महंगे हैं। समर्थ ग्राहक भी इन्हें खरीदने में काफी सावधानी बरत रहे हैं। खरीदने से बच रहे हैं।

निवेश और मांग बढ़े

-हर्षवर्धन नेवतिया
(अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की))

निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की गति मंद है, मांग में गिरावट और क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में हम बजट में ऐसी नीतियों की अपेक्षा कर रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं और कारोबार दोनों का भरोसा मजबूत हो। कर संरचना में ऐसे बदलाव की जरूरत है जिससे उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक पैसा आए और उद्योग जगत को निवेश करने की प्रेरणा मिले। हाउसिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिए, खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को 10 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3 फीसद का वित्तीय अनुदान (निर्यातकों के समान) देना चाहिए।

विकास की मौजूदा रफ्तार सरकारी निवेश के चलते बनी हुई। जरूरत इस बात की है कि ढांचागत सुविधाओं पर खर्च को बढ़ाकर इसे बरकरार रखा जाए। इसके लिए यदि वित्त मंत्री को वित्तीय घाटे के लक्ष्य में मामूली बदलाव करने की आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये ऐसी वित्तीय नीति की आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में इजाफा करे। नेशनल इंवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआइआइएफ) को हाल ही में लांच किया गया है। आगामी बजट में यह एक अहम वित्तीय औजार साबित हो सकता है। इस फंड को प्रतिवर्ष विभिन्न सेक्टरों को मुहैया कराया जा सके, इसके लिए बजट में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता है।

घरेलू बाजार में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के साथ कारोबार करने की लागत भी कम करने की आवश्यकता है। जैसे ही मांग में सुधार और क्षमताओं का पूर्ण उपयोग होगा कारोबारी अपने आप ही विस्तार के लिए वित्तीय संस्थानों से मदद ले लेंगे। हालांकि वित्त की अधिक लागत इस प्रक्रिया में अड़चनें पैदा कर सकती है। ऐसे में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं खासतौर पर पूंजीकरण का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए पिछले वर्ष के बजट में 7,940 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पिछले वर्ष अगस्त में इंद्रधनुष योजना की घोषणा की गई जिसके मुताबिक अगले चार वित्त वर्षों यानी 2018-19 तक 70,000 करोड़ रुपये समाहित किये जाएंगे। इसी क्रम में मौजूदा वित्त वर्ष इसमें 25,000 करोड़ रुपये लगाए जाने हैं। हालांकि बैंकों की सेहत सुधारने के लिए इतनी पूंजी काफी नहीं होगी। भारत में नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स की समस्या का समाधान निकालने के लिए फिक्की ने नेशनल असेट मैनेजमेंट कंपनी (नामको) नाम से एक विशिष्ट इकाई के गठन का सुझाव दिया है। साथ ही सरकार को छोटी बचत पर ब्याज संरचना की शीघ्र समीक्षा करनी चाहिए जिससे पॉलिसी रेट कटौती का फायदा बैंक कर्ज पर ब्याज को कम कर ग्राहकों को दे सकें।

वित्त मंत्री को 2016-17 के दौरान कुल खर्च का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना होगा। इसकी वजह उनकी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। मसलन उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें और वन रैंक वन पेंशन जैसी स्कीमें लागू करनी हैं। लिहाजा सार्वजनिक पूंजीगत विकास पर गैर-उत्पादक और फिजूलखर्ची रोकनी होगी। गैर-जरूरी सब्सिडी हटाने की जरूरत है और इसका अधिकतम फायदा देने के लिए डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के विकल्प की आवश्यकता है।

पिछले बजट ने दीर्घावधि से मध्यावधि के लिए वित्तीय-आर्थिक सुधारों की नींव डाली। ऐसे में हम आशा करते हैं कि आगामी बजट अर्थव्यवस्था में निवेश और मांग को बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।